| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज<br>**राणाराम बनाम कालाराम वगैरह, मुकदमा संख्या :– 01/2023** | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए |
|---|---|---|
| **21.07.2025** | पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का जवाब लम्बे समय से पेश नहीं होने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 व 8 लगायत 10 की और से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा गोलासन में खेत खसरा संख्या 1519/466 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1520/466 रकबा 1.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1521/466 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 467 रकबा 2.36 हैक्टेयर कुल रकबा 5.79 हैक्टैयर के आये हुए है जो पुराने खसरा नंबर 268 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा से नवसजित हुए है। इन खेतों में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा (जिस में से प्रार्थी ने 0.91 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीया संख्या 7 को बैचान की है), अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा विधिक हकों का है जो जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 के खाता नंबर 170 व जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 के खाता नंबर 201 से स्पष्ट है जिसकी नकल प्रार्थना–पत्र पत्र के साथ पेश है वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा विधिक हकों का है लेकिन द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर अप्रार्थीगण कालाराम, पन्नाराम व मीरादेवी के पुर्वज वजा पुत्र करमसी के साथ मिलावट कर प्रार्थी के 1/3 हिस्से के स्थान पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण 4 लगायत 6 को 1/2 हिस्से में व अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के नाम का 1/2 हिस्से का इन्द्राज करवा दिया जबकि इस बाबत् प्रार्थी को किसी प्रकार का न तो सुनवाई का अवसर दिया एवं न ही प्रार्थी से कोई सहमति ली केवल अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के कहे अनुसार विधिविरूद्व तरीके से 1/2 हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थीगण 4 लगायत 6 का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के नाम करवा दिया जबकि न तो अप्रार्थीगण को ऐसा करने का विधिक अधिकार था न ही द्वितीय भू–प्रबन्धक विभाग को ऐसा करने का विधिक क्षैत्राधिकार था। भू–प्रबन्ध विभाग ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर प्रार्थी की सहमति के बिना जो इन्द्राजात किये गये है वे इन्द्राज प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्तनीय है तथा बाद के इन्द्राजात भी प्रभावशुन्य होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी का 1/3 हिस्से का खातेदार है लेकिन केवल सेटलमेन्ट विभाग के विधिविरूद्व आदेश के आधार पर प्रार्थी की भूमि कर कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उनके नाम हुए विधिविरूद्व इन्द्राज की भूमि वापिस प्रार्थी के नाम करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण ने कहा की पुरी जमीन का बन्टवाड़ा करवा लेते है। बंटवाड़े में आपको भूमि दे दी जायेगी तब प्रार्थी ने कहा ठीक है, प्रार्थी को प्रार्थी के हकों की भूमि बंटवाड़े में दे दो तो उस माफिक बंटवाड़े का बयान कर देगा तब अप्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से मिलकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करवाया तथा प्रार्थी को यही बताया गया कि खसरा [illegible] 268 में प्रार्थी का [illegible] हिस्सा दिया जाकर ही बंटवाड़ा तैयार करवाया है। [illegible] पर वादी ने बंटवाड़ा प्रस्ताव पर अंगु[illegible] 10 दिन पूर्व हल्का पटवारी के साथ [illegible] भूमि खाली करने की धमकी दी तब [illegible] जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से मिलकर पुराने खसरा [illegible] 268 में वादी का 1/3 हिस्सा न रखकर बंटवाड़ा करवाया है जो प्रार्थी के साथ धौखाकर बंटवाड़ा किया है जो इन्द्राज विधिविरूद्व होने से निरस्त | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

योग्य है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द फरमावें कि सरहद मौजा गोलासन में खेत खसरा नंबर 1519/466 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1520/466 रकबा 1.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1521/466 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 467 रकबा 2.36 हैक्टेयर कुल रकबा 5.79 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 268 रकबा 35 बीघा 16 बीस्वा से नवसर्जित हुए है जिसमें वाद के अंतिम निस्तारण तक बैचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा गोलासन तहसील सांचौर के खेत खसरा नंबर क्रमशः 1519/466, 1520/466, 1521/466, 467 रकबा 1.08 हैक्टेयर, 182 हैक्टेयर, 0.53 हैक्टेयर, 2.36 हैक्टेयर, भूमि की अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner